हुकुम राज खिनवसरा

बनाम

भारत संघ और अन्य।

मार्च 17,1997

[के. रामास्वामी और जी. टी. नानावती, न्यायमूर्तिगण]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985:

धारा 27 को धाराएँ 20(2) और 21(1) के साथ पढा जाय-न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन-परिसीमा-दिनांकित 13.3.1992 के आदेश द्वारा न्यायाधिकरण के कर्मचारी की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए, उसे सेवा में बहाल किया और निर्देश दिया कि वह सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, कर्मचारी द्वारा परिणामी लाभों के लिए दिए गए अभ्यावेदन के खारिज होने पर, उसने अवमानना याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। कर्मचारी ने दिनांक 13.12.1994 को प्राधिकरण के आदेश दिनांकित 13.03.1992 के निष्पादन के लिए धारा 27 के अंतर्गत आवेदन दिया। न्यायाधिकरण ने आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया-अभिनिर्धारित किया गया, न्यायाधिकरण द्वारा पारित के अंतर्गत निष्पादन योग्य है-न्यायाधिकरण ने आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित- सही अभिनिर्धारित किया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2237/1997

O.A.No.- 466/1994 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर, राजस्थान के दिनांकित 16.04.1996 के निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी की ओर से एल. सी. गोयल और सुश्री सुरिता बामेज़ई।

उत्तरदाताओं के लिए सुश्री कामाक्षी महलवाल, सुश्री कनुप्रिया और ए. के. शर्मा।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया।

देरी को माफ किया गया। छुट्टी दी गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना।

यह अपील, विशेष अवकाश द्वारा, ओ. ए. नं.- 466/1994 में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर के आदेश दिनांकित 16 अप्रैल, 1996 से उत्पन्न हुआ है।

पहले अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया था और उसके विरुद्ध आरोप पत्र 29 अप्रैल 1974 को प्रस्तुत किया गया। उनकी बर्खास्तगी के आदेश को अंततः रद्द कर दिया गया और उसके बाद उन्हें न्यायाधिकरण के 13 मार्च, 1992 के आदेश द्वारा ओ. ए. सं. 261/91 में सेवा में बहाल कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक ऐसा प्रतीत होता है कि बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करते हुए न्यायाधिकरण ने यह आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी उन सभी परिणामी लाभों का हकदार था जो वह सेवा में रहता तो अर्जित कर सकता था। चूंकि उनके अभ्यावेदन के बावजूद, उनको परिणामी लाभ नही दिया गया, उसने अवमानन आवेदन 11 दिसम्बर, 1992 को दायर किया, जिसे 29 जुलाई, 1993 को न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने वर्तमान ओ. ए. दिनांकित 13 मार्च 1992 के आदेश को लागू करने संबंधी निर्देशों की मांग के लिए दायर किया। न्यायाधिकरण ने 16 अप्रैल, 1996 के विवादित आदेश द्वारा इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी का आवेदन सीमा द्वारा वर्जित था। इस प्रकार विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर किया गया।

केवल एक ही सवाल हैः क्या न्यायाधिकरण के पूर्व के आदेशों को लागू करवाने की माँग करने वाला आवेदन सीमा द्वारा वर्जित था? प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 27 (संक्षेप में, 'अधिनियम') इस प्रकार परिकल्पित करता है किः

> "27. न्यायाधिकरण के आदेशों का निष्पादन - इस अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन किसी आवेदन या अपील का अंतिम निष्पादन करने वाला न्यायाधिकरण का आदेश अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उसे चुनौती नही दिया जा सकेगा। (उच्च न्यायालय सहित) और इस तरह के आदेशों को उसी तरह से निष्पादित किया जाएगा जिसमे धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी अंतिम आदेश को निष्पादित किया जाता है (चाहे ऐसा अंतिम आदेश वास्तव मे किया गया हो या नहीं) उस शिकायत के संबंध में जिससे आवेदन संबंधित है, निष्पादन किया गया होगा।

अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) के लिए प्रासंगिक भाग अभिधारणा करता है किः

> “(2) धारा 20 की उप धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को शिकायतों के निवारण के संबंध में प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा-
>
> (क) यदि सरकार या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसे नियमों के तहत ऐसा आदेश पारित करने में सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा अंतिम आदेश दिया गया है, तो शिकायत के संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी अपील या प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया जाएगा।

धारा 21 इस संबंध में सीमा निर्धारित करती है। धारा 21 की उप धारा (1) (ए) अभिनिर्धारित करता है किः - ऐसे मामलों में जहाँ अंतिम आदेश जैसा कि धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (क) में वर्णित है उस शिकायत के संबंध में बनाई गई है जब तक कि आवेदन इस तारीख से एक वर्ष के भीतर नही किया जाता है जिस पर ऐसा अंतिम आदेश दिया गया है।

(1) न्यायाधिकरण किसी आवेदन को स्वीकार नही करेगा-

(क) ऐसे मामले में जहां खंड (ए) में उल्लिखित अंतिम आदेश हो। धारा 20 की उप-धारा (2) के संबंध में बनाया गया है। शिकायत के साथ जब तक कि आवेदन नहीं किया जाता है, एक वर्ष के भीतर जिस तारीख से ऐसा अंतिम आदेश दिया गया है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश- इस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत इसके अंतिम होने की तिथि से एक साल के अंदर निष्पादित करने योग्य है। स्पष्टतः, अंतिम आदेश 13 मार्च, 1992 को पारित किया गया था। परिणामतः अपीलार्थी को इजराय आवेदन उपरोक्त तिथि से एक साल के अंदर दायर करने की जरुरत थी। जब तक कि न्यायाधिकरण के आदेश को इस न्यायालय द्वारा एक विशेष अनुमति याचका में निलंबित नही किया गया था जो कि यहाँ मामला नही है। स्पष्ट तौर पर, अपीलकर्ता द्वारा 13 दिसंबर, 1994 को आवेदन दायर किया गया था जो कि एक वर्ष के समय के पहले हुआ था। इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण अपने निष्कर्ष पर सही था कि आवेदन परिसीमा द्वारा वर्णित था।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि न्यायाधिकरण ने आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया होगा। यह उनका मामला नही है कि उन्होने देरी की माफी के लिए

आवेदन किया था और न्यायाधिकरण ने उनके द्वारा की गई देरी के आधार की जाँच किए बिना आवेदन खारिज कर दिया था। इन परिस्थितियों में, हमें न्यायाधिकरण द्वारा देरी को माफ करने से इंकार करने के अन्य मुद्दे पर जाने की जरुरत नही है।

तदनुसार अपील खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

आर.पी याचिका ख़ारिज कर दी गयी।

अलोक प्रकाश